

1. प्रति,

श्रीमान् रु. के. गोराहा खल जी

जिला गणतंत्रांग द. ग.

विषय = 20-25 दिन से झांसकुर्मि खराब होने से

कुशल बर्बाद होने का कारण

विषयानुसार लेख है हम सभी ग्राम

पंचायत इरईकुला के असीखार के डिजाइन है

हमारे यहां 25 मप कि झांसकुर्मि लगा हुआ

है जिसमें $8 \times 3 \text{ मप} = 24 \text{ मप}$ कि दूधवेल

जंचालित है जो लगभग 5-7 वर्षों से ठीक

से चल रहे थे जो 20-25 दिन पूर्व खराब

हो गया था जिसका लगातार शिकायत के बाद

दिनांक 2/10/26 को नया झांसकुर्मि लगाया

गया था जो 24 घंटे में ही ~~कुल~~ बलाए

हो गया है श्रीमान् के निवेदन है 63 मप

समय कि झांसकुर्मि लगाने जिसे

हम लोगो कि ध्यान कि कुशल

વચાયા જા રહે /

અન્ય ઉપભોક્તા રૂઠ ટ્રાસકાર્મર ને હૈ જો નિમ્ન
ક્ર-૦૧ પતિમા વાઈ નાકુ

(૨) રેવવ-ચંદ નાકુ

(૩) ધનુરામ નાકુ

(૪) મુલશામ નાકુ

(૫) રુદ્રાલ નાકુ

(૬) મીલકંઠ

(૭) ગોર્વધન નાકુ

ગોર્વધન

સી વર્ગ દાસ નાકુ

ગ્રામ - દરદીકલા

તાલુ - ધુમરા

મિલકત જનપદ રાજકોટગાંવ

મો. - 9691798618

(૧) 1010662629

(૨) 1009610901

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम,
राजनांदगांव



क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)491441

क्रमांक 13-01/वि.उ.षि.नि.फो.राजनांदगांव /85

राजनांदगांव दिनांक : 07/10/2026

श्री सीवन दास साहू एवं अन्य,
बी.पी. नं.- 1010662629
ग्राम-इरईकला, थाना- घुमका
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

विरुद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव (छ.ग.)।

सूचना पत्र अंतर्गत धारा 42 (5) विद्युत अधिनियम 2003

01. उपर वर्णित आवेदक श्री सीवन दास साहू एवं अन्य, बी.पी. नं.- 1010662629 ग्राम-इरईकला, थाना- घुमका, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) के द्वारा ट्रांसफार्मर खराब होने से फसल बर्बाद होने बाबत शिकायत इस फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
02. एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि निम्न बिन्दुओं पर अपना प्रत्युत्तर आवेदक को प्रेषित करने के साथ ही फोरम कार्यालय में दिनांक 14.10.2026 तक दो प्रतियां में प्रस्तुत करें।
 - i. क्या शिकायत का निपटारा आपके द्वारा किया जा सकता है?
 - ii. यदि निपटारा संभव न हो तो उसका कारण?
 - iii. प्रकरण से संबंधित जवाबदावा एवं दस्तावेज प्रस्तुत करें।
03. उत्तर की पुष्टि में विधि अनुसार शपथ पत्र भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शिकायत की जांच कर तथा शीघ्र निराकरण कर उपभोक्ता को सूचित करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को लिखित में अवगत करावें।

4/4

(ए.के. गौराहा)

अध्यक्ष,
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम राजनांदगांव

क्र. 13.11/शिका./फोरम/4824

राज0, दिनांक 16/10/26

प्रति,

अध्यक्ष

विद्युत शिकायत निवारण फोरम

राजनांदगांव

विषय :- सूचना पत्र अंतर्गत धारा 42(5) विद्युत अधिनियम 2003

संदर्भ :- 1. अध्यक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव का पत्र क्रमांक 13-01/वि.उ.शि.नि.फो.राजनांदगांव/85 दिनांक 09.10.2026
2. सहायक अभियंता सोमनी उपसंभाग का पत्र क्रमांक 1669 दिनांक 14.10.2026

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि उपभोक्ता श्री सीवन दास साहू एवं अन्य, ग्राम-ईरईकला थाना घुमका, जिला-राजनांदगांव के द्वारा ट्रांसफार्मर खराब होने से फसल बर्बाद होने की शिकायत फोरम के समक्ष की गई है।

सहायक अभियंता सोमनी उपसंभाग द्वारा संलग्न संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के माध्यम से उक्त शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न - उपरोक्तानुसार

कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा) संभाग
छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव
0/c

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक / विजशिनिफोराज. / 2026 / ४४

राजनांदगांव दिनांक 22/10/2026

प्रति,

01. श्री सीवन दास साहू एवं अन्य, बी. पी. नं. 1010662629
ग्राम— इरईकला, थाना—घुमका, जिला— राजनांदगांव (छ.ग.)
02. कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा)संभाग,
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :- ट्रांसफार्मर खराब होने से फसल बर्बाद होने के संबंध में शिकायत।

—00—

विषयांतर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।



अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

प्रतिलिपि :

अधीक्षण अभियंता (वृत्त), छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष ए.के. गौराहा)

प्रकरण क्रमांक / 36 / 2026

संस्थित दिनांक 07 / 10 / 2026

श्री सीवन दास साहू एवं अन्य,

...परिवादी

बी. पी. नं. 1010662629

ग्राम— इरईकला, थाना—घुमका

जिला— राजनांदगांव (छ.ग.)

विरुद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा)संभाग,

...उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर. डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि. राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश

(दिनांक 22 / 10 / 2026 को पारित)

परिवादी द्वारा अपने ग्राम इरईकला में खराब हुए ट्रांसफार्मर के कारण फसल बर्बाद होने पर उत्तरवादी द्वारा समस्या का उचित निराकरण नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर परिवाद प्रस्तुत किया है।

1. प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है—

क. परिवादी श्री सीवन दास साहू को ग्राम— इरईकला, थाना—घुमका, जिला— राजनांदगांव (छ.ग.) में विद्युत कनेक्शन उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया है।

ख. गुणवत्ता पूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना उत्तरवादी विभाग का दायित्व है।

2. परिवादी के परिवाद का संक्षिप्त सार:

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह उल्लेख किया गया है कि परिवादी एवं अन्य उपभोक्ता जिनका आवेदन में नाम उल्लेखित किया गया है। सभी ग्राम पंचायत— इरईकला भरीखार के किसान हैं एवं उनके यहां 25 एच.पी. का लगा हुआ ट्रांसफार्मर



—



फेल हो गया था, जिसमे 8X3 एच.पी. = 24 एच.पी. का ट्यूबवेल संचालित था जो लगभग पांच सात वर्षों से ठीक चल रहा था, परन्तु अभी 20-25 दिन से खराब होने के कारण लगातार शिकायत के बाद दिनांक 2/10/2026 को नया ट्रांसफार्मर लगाया गया था जो 24 घण्टे में ही ब्लास्ट हो गया अतः श्रीमान से निवेदन है कि 64 एच.पी. क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाये जिससे हम लोगो की धान की फसल बचाई जा सके ।

3.. उत्तरवादी का जवाब:

प्रस्तुत शिकायत के संबंध में उत्तरवादी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है -

ग्राम- इरईकला, थाना-घुमका, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) में श्री सीवन दास साहू एवं अन्य द्वारा ट्रांसफार्मर खराब होने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर उत्तरवादी द्वारा दिनांक 02/10/2026 को आवश्यक जांच कर विफल ट्रांसफार्मर को बदल कर नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया था, जो कि पुनः फेल हो जाने पर उसके स्थान पर दोबारा नया ट्रांसफार्मर दिनांक 12/10/2026 को स्थापित किया गया है, जिससे वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से संचालित है।

4. विचारणीय प्रश्न:

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्धारित किये जाते हैं-

- i. क्या श्री सीवन दास साहू ग्राम- इरईकला, थाना-घुमका, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) का खराब ट्रांसफार्मर को बदलने के संबंध में शिकायत का उत्तरवादी द्वारा समुचित रूप से निराकरण कर दिया गया है।

5.

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष -

परिवादी द्वारा अपने परिवाद में उल्लेख किया गया है, कि ग्राम इरईकला में स्थापित खराब ट्रांसफार्मर को बदलने एवं नया ट्रांसफार्मर लगाने के संबंध में शिकायत कि गई है। उत्तरवादी द्वारा उक्त शिकायत के संबंध में स्थल पर जाकर जांच की गई तथा खराब ट्रांसफार्मर को बदल कर समस्या का निराकरण किया गया तथा वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सामान्य है।



उत्तरवादी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में ग्राम इरईकला में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से संचालित है।

प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी द्वारा परिवादी की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए खराब ट्रांसफार्मर को बदलकर समस्या का निराकरण कर दिया गया है।

अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर सकारात्मक रूप में दिया जाता है।

6. आदेश:

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर यह पाया जाता है कि परिवादी की शिकायत का निराकरण उत्तरवादी द्वारा कर दिया गया है।

अतः परिवादी की शिकायत का निराकरण हो जाने के कारण इस प्रकरण में अब किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही किया जाना आवश्यक नहीं है।

तदनुसार परिवाद निराकृत किया जाता है।

7. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

आदेश पारित किया गया



(एन.के. साहू)
सदस्य



(ए.के. गौराहा)
अध्यक्ष